झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2023

संख्या :– **2342** राँची, दिनांक **15.08.2024**

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान एवं भूगोल विषय से संबंधित मेधाक्रमानुसार अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन क्रमशः दिनांक 22.12.2023 से दिनांक 24.12.2023 तथा दिनांक 16.01.2024 से 19.01.2024 तक किया गया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। इसी प्रकार प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को पुनः निर्धारित तिथि को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

2. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक– भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल विषय के पदों पर चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/आयु सीमा/आरक्षण/अनुभव इत्यादि की शर्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। साथ ही विवरणिका की कंडिका 10 I. में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **''परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।''**

3. उपर्युक्त शर्त्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा आयोग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत आयोग का निर्णय निम्न हैः–

क) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के विवरणिका की कंडिका– 5 एवं 6 में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा –

कंडिका–5 : ''सीधी भर्त्ती एवं झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अर्हता प्राप्त शिक्षकों से भरी जाने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियाँ एक ही परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी। सभी अभ्यर्थी दोनों माध्यमों से नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन पत्र में उपलब्ध रहेगा। दोनों ही माध्यमों से भर्त्ती हेतु आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा। सीधी भर्ती एवं सीमित भर्त्ती से भरी जाने वाली रिक्ति के सन्दर्भ में एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान की रिक्ति के विरूद्ध वनस्पति शास्त्र अथवा प्राणीशास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी आवेदन देने के पात्र होंगे परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जीव विज्ञान विषय की परीक्षा ली जायेगी जिसमें वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र दोनो विषयों से समान संख्या में प्रश्न पूछे जायेंगे।''

कंडिका–6 :

<table>
<tr><th>क्र॰ सं॰</th><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th><th>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
(सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, जीव विज्ञान</td><td rowspan="10">पे मैट्रिक्स लेवल–8, 47,600 / – 1,51,100 / –</td><td rowspan="10">**(क)** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कुलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्याताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथा संशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगीः–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी॰एड॰)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी॰एड॰)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी॰ए॰एड॰ / बी॰एससी॰एड॰।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी॰एड॰ / एम॰एड॰।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, रसायन शास्त्र</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भूगोल</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, हिन्दी</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, अर्थशास्त्र</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, इतिहास</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, संस्कृत</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक शास्त्र</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, गणित</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, वाणिज्य</td></tr>
</table>

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
11.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, अंग्रेजी		**(ख)** राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

उक्त प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती हैः—

क्र॰ सं॰	अनुक्रमांक	कारण
		विषय— रसायन शास्त्र
1.	11915387	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIO CHEMSITRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
2.	11322044	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर ORGANIC CHEMISTRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
3.	10315116	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर MEDICINAL CHEMISTRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
4.	10215182	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर CHEMISTRY (MATERIAL) में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
5.	11215232	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर CHEMICAL SCIENCE में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
6.	10822195	बी॰एड॰ के स्थान पर B.Ed. (Part Time) का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।
7.	11922331	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIO CHEMISTRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
8.	12322124	रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIO CHEMISTRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
		विषय— भौतिक शास्त्र
1.	12315170	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर APPLIED PHYSICS में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
2.	11415196	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर APPLIED PHYSICS में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
3.	10212162	बी॰एड॰ के स्थान पर B.Ed. Innovative का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
4.	10112089	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर APPLIED PHYSICS में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
		विषय— जीव विज्ञान
1.	10910104	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOCHEMSITRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।

क्र॰ सं॰	अनुक्रमांक	कारण
2.	10310027	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
3.	12010177	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOCHEMSITRY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
4.	11410006	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
5.	11710041	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
6.	10203041	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
7.	11303335	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर LIFE SCIENCE में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
8.	12303337	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
9.	11203097	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर LIFE SCIENCE में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
10.	11203163	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर MICRO BIOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
11.	10403104	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
12.	11603192	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर LIFE SCIENCE में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
13.	12210029	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
14.	11410065	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर BIOTECHNOLOGY में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
15.	11210127	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर LIFE SCIENCE में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
16.	11810006	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान) विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर LIFE SCIENCE में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
		विषय– भूगोल
1.	10817210	बी॰एड॰ के स्थान पर B.Ed. Innovative का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।

ख) परीक्षा विवरणिका की कंडिका– 6 (i) के अनुसार अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

उक्त के आलोक में ऑन लाईन आवेदन की अंतिम तिथि **दिनांक 04.05.2023** के उपरांत का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है:–

क्र० सं०	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– भौतिक शास्त्र
1.	10211107	भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर उत्तीर्णता की तिथि दिनांक 18.08.2023 होने के कारण।
		विषय– भूगोल
1.	11417248	भूगोल विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्णता की तिथि दिनांक 09.01.2024 होने के कारण।
2.	11417160	भूगोल विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्णता की तिथि दिनांक 09.05.2023 होने के कारण।

ग) परीक्षा विवरणिका की कंडिका– 6 (ii) के अनुसार खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा **श्रेणी–'ख'** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

क्र०सं०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	2	3
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

उपर्युक्त निर्धारित मानक के अनुरूप खेल–कूद कोटा का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता उदग्र आरक्षण के रिक्तियों तक सीमित की जाती है:–

क्र० सं०	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– भौतिक शास्त्र
1.	11511296	ऑन लाईन आवेदन में खेल–कूद कोटा के दावे के आलोक में SGFI के तत्वाधान में आयोजित 58th National School Baseball Tournament में केवल भागीदारी (Participation) का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
		विषय– भूगोल
1.	11316064	ऑन लाईन आवेदन में खेल–कूद कोटा के दावे के आलोक में SGFI के तत्वाधान में आयोजित 57th National School Handball Games Tournament में केवल भागीदारी (Participation) का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।
2.	11016052	ऑन लाईन आवेदन में खेल–कूद कोटा के दावे के आलोक में Basketball Federation of India के तत्वाधान में आयोजित 58th Senior National Basketball Championship में केवल भागीदारी (Participation) का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण।

घ) परीक्षा विवरणिका की कंडिका– 6 नोट के अनुसार ''शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल, आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा।''

उक्त के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती हैः–

क्र॰ सं॰	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– रसायन शास्त्र
1.	11115023	प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि 31.12.2023 तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का मूल/ औपबंधिक प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।

ङ) परीक्षा विवरणिका की कंडिका– 7 के अनुसार झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों को आवेदन समर्पित करने की तिथि तक तीन वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया गया समर्पित करना अनिवार्य है।

उक्त के आलोक में विहित प्रपत्र से भिन्न शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने अथवा शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सीधी भर्त्ती के रिक्तियों तक सीमित की जाती हैः–

क्र॰ सं॰	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– रसायन शास्त्र
1.	12322224	ऑन लाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आलोक में वांछित कार्यरत शिक्षक हेतु अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण।
2.	12415015	ऑन लाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आलोक में Progressive Public School, Dumri, Giridih में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया जो कि विहित प्रपत्र से भिन्न रहने के कारण।
3.	10215372	ऑन लाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आलोक में Private School में कार्यरत होने का उल्लेख करते हुए वांछित प्रमाण पत्र समर्पित करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण।
		विषय– भौतिक शास्त्र
1.	11211152	ऑन लाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आलोक में जगरनाथ नगर महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक होने का उल्लेख किया गया जो कि विहित प्रपत्र से भिन्न रहने के कारण।
		विषय– जीव विज्ञान
1.	11903110	ऑन लाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आलोक में कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, गढ़वा द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया जो कि विहित प्रपत्र से भिन्न रहने के कारण।
2.	11803006	ऑन लाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आलोक में Elite Public School द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया जो कि विहित प्रपत्र से भिन्न रहने के कारण।

च) स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), राँची के पत्रांक 1584 दिनांक 12.06.2024 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन की कंडिका– 4(iii) यथा– ''स्पष्टतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 13. 04.2022 को समानांतर सत्र में दो कोर्स (Dual Degree) की अनुमति से संबंधित प्रावधान गठित किया गया था, अतएव इसके पूर्व के मामले में संबंधित समानांतर डिग्री/पाठ्यक्रम की मान्यता इस नियुक्ति नहीं होगी।''

उक्त के आलोक में दिनांक 13.04.2022 के पूर्व समानांतर सत्र में दो कोर्स (Dual Degree) का अध्ययन करने संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती हैः–

क्र० सं०	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– रसायन शास्त्र
1.	11715171	M.Sc. (2016-18) (Distance Mode) एवं B.Ed. (2016-18) (Regular Mode) का अध्ययन समानांतर सत्र में होने के कारण।
2.	12322328	M.Sc. (2006-07) (Regular Mode) एवं B.Ed. (2007) (Distance Mode) का अध्ययन समानांतर सत्र में होने के कारण।
		विषय– भूगोल
1.	10217315	M.A. (2011-13) (Distance Mode) एवं B.Ed. (2012) (Regular Mode) का अध्ययन समानांतर सत्र में होने के कारण।
2.	11716201	M.A. (2011-14) एवं B.Ed. (2012-13) का अध्ययन समानांतर सत्र में होने के कारण।

छ) **परीक्षा विवरणिका की कंडिका**– **11. (II)** के अनुसार आरक्षण संबंधी प्रावधान निम्नवत् हैः–

जाति प्रमाण पत्र–

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–III पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–II पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IV पर धारित है।

साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 4258 दिनांक 30.05.2019 की कंडिका– 3 (ग) के द्वारा उक्त पत्रांक – 1754 दिनांक 25.02.2019 के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। किन्तु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–VI) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाशा विभाग, झारखण्ड ,राँची के पत्रांक–235, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोटः–(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न आरक्षण कोटि से संबंधित जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्तियों तक सीमित की जाती है:–

क्र० सं०	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– रसायन शास्त्र
1.	10515168	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के निमित्त वांछित अद्यतन (वर्ष– 2023 अथवा 2024) आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
2.	10915115	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित गैर क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र (फार्म–11) अप्राप्त रहने के कारण।
3.	10215377	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित गैर क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र (फार्म–11) अथवा स्व–घोषणा पत्र अप्राप्त रहने के कारण।
4.	10215412	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित गैर क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र (फार्म–11) अथवा स्व–घोषणा पत्र अप्राप्त रहने के कारण।
		विषय– भौतिक शास्त्र
1.	10911104	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के निमित्त वांछित आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
		विषय– जीव विज्ञान
1.	10810109	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के निमित्त वांछित आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
2.	12010153	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के निमित्त वांछित आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
3.	11210143	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के निमित्त वांछित आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
4.	11410337	ऑन लाईन आवेदन मे ंदावे के अनुरूप आदिम जनजाति (असुर) का वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
5.	11710186	ऑन लाईन आवेदन मे ंदावे के अनुरूप आदिम जनजाति (असुर) का वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।
		विषय– भूगोल
1.	11017011	ऑन लाईन आवेदन मे ंदावे के अनुरूप अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण।

ज) अन्यान्य

क्र० सं०	अनुक्रमांक	कारण
		विषय– भूगोल
1	10316115	अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से अधिक होने के कारण केवल अपने आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 में चयन हेतु योग्य हैं। तदनुसार भूगोल विषय में पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए अधियाचित कुल 01 (एक) रिक्ति के सापेक्ष निःशक्तजन के आरक्षण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2249 दिनांक 03.04.2018 के अनुपालन में नीचे के मेधाक्रम से निःशक्तजनों को चयन करने के क्रम में पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2, मूक–बधिर कोटि के एक अभ्यर्थी का चयन होने के कारण उक्त अभ्यर्थी को परीक्षाफल से बाहर किया जाता है।

झ) **उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका 10 I.** के आलोक में प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु निर्धारित तिथियों को अनुपस्थित रहने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती हैः–

रसायन शास्त्रः– 11522079, 11615163, 11515192, 11722044, 11515034, 10215253, 11322264, 12322034.

भौतिक शास्त्रः– 11615072, 11012109, 10315025, 10511022, 11215147.

जीव विज्ञानः– 10210197, 10210001, 12303395, 10210275, 11010015, 11710229, 10910127, 11710248, 11403437, 11010091.

भूगोलः–11416123, 10316021, 10416079.

ह०/–

परीक्षा नियंत्रक।